सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, August 20, 2025 / Sravana 29, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, August 20, 2025 / Sravana 29, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION (S.Q. NO. 381)	**1 – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 382 – 400)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 4371 – 4600)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, August 20, 2025 / Sravana 29, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, August 20, 2025 / Sravana 29, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 83**
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	**283 & 315**
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE	**284 - 85**
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING	**285 - 86**
14th to 21st Reports	
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS	**286 - 87**
9th to 13th Reports	
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING	**287**
Statement	
STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS	**287**
6th Report	
STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS	**288**
254th Report	
STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS	**288**
369th and 370th Reports	

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE	**288**
380th Report	
STATEMENTS RE: WITHDRAWAL OF FUNDS FROM CONTINGENCY FUND OF INDIA – LAID	**289**
Dr. Chandra Sekhar Pemmasani	
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 5TH AND 7TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION – LAID	**289**
Shri B.L. Verma	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 5TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING – LAID	**290**
Shri Ravneet Singh	
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 6TH, 8TH, 38TH AND 40TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION – LAID	**290 - 91**
Shrimati Nimuben Jayantibhai Bambhaniya	
BILL INTRODUCED	**291 - 93**
Promotion and Regulation of Online Gaming Bill	
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**294 - 303**
Shrimati Smita Uday Wagh	**294**
Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava	**294**
Shri Ravindra Shukla *Alias* Ravi Kishan	**295**
Shri Yogender Chandolia	**295**
Shri Anup Sanjay Dhotre	**296**
Shri Bibhu Prasad Tarai	**296**

Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava	297
Shri Sukanta Kumar Panigrahi	297
Shri Lumbaram Choudhary	298
Shri Manish Tewari	298
Shri Ramasahayam Raghuram Reddy	299
Shri Rahul Kaswan	299
Prof. Varsha Eknath Gaikwad	300
Sushri Iqra Choudhary	300
Shri Virendra Singh	301
Shri Arun Nehru	301
Shri S. Jagathratchakan	302
Dr. Alok Kumar Suman	302
Shri Omprakash Bhupalsinh *alias* Pavan Rajenimbalkar	303
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	303
…	304
BILLS INTRODUCED	305 -12
(i) Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill	
(ii) Government of Union Territories (Amendment) Bill	
(iii) Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill	
Shri Asaduddin Owaisi	306 - 07
Shri Manish Tewari	307 - 08
Shri N.K. Premachandran	308 – 09
Shri Amit Shah	308 - 09
Shri K.C. Venugopal	309 – 10
Shri Dharmendra Yadav	310

MOTION RE: REFERENCE OF CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND THIRTIETH AMENDMENT) BILL; GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL AND JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (AMENDMENT) BILL TO JOINT COMMITTEE 313 - 14

Shri Amit Shah

PROMOTION AND REGULATION OF ONLINE GAMING BILL 316 - 19

Motion for Consideration 316

Shri Ashwini Vaishnaw 316 - 17

Motion for Consideration – Adopted 318

Consideration of Clauses 319

Motion to Pass 319

xxxx

(pp. 2-30)

(1100/SK/SMN)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 381)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 381. श्री सुरेश कुमार शेटकर।

… (व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष: श्री अनूप संजय धोत्रे।

… (व्यवधान)

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): Thank you Speaker Sir.

Sir, I would like to ask how effective are current disaster management strategies in ensuring timely communication … (*Interruptions*)

1101 बजे

(इस समय श्री हैबी ईडन, प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आपसे आग्रह कर रहा हूं कि तख्तियों में डंडी लगाकर आना सदन के लिए उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न काल में रोज नारेबाजी करते हैं, सदन में तख्तियां लेकर, डंडे लेकर आते हैं, यह सदन के लिए उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप राजनीतिक दल के सदस्य हैं। आप सदन चलाने में सहयोग करें, प्रश्न काल चलाने में सहयोग करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1102 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/VVK/RP)

1200 hours

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri P.C. Mohan *in the Chair*)

1200 hours

(At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri B. Manickam Tagore and some other hon. Members came and stood near the Table)

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

1201 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, a few notices of Adjournment Motion have been received on different subjects. Hon. Speaker has disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1201 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I rise to lay on the Table: -

(1) A copy of the statement regarding Review* (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Karmyogi Bharat, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

… (*Interruptions*)

* Annual Report and Audited Accounts were laid on 06th August 2025.

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : सभापति महोदय, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी/एसपी-20/टी (रीसाइकिल्ड प्लास्टिक्स-एन) में प्रकाशित हुए थे।

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी/एसपी-21/टी (अल्कोहल-6) में प्रकाशित हुए थे।

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी / 43-एफए-अधिसूचना/2024 में प्रकाशित हुए थे।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the Table a copy of the Report of the Comptroller and Auditor General of India (Hindi and English versions) - Union Government (15 of 2025) on Cleanliness and Sanitation in long distance trains in Indian Railways – Performance Audit (Railways), Ministry of Railways, under Article 151(1) of the Constitution.

… (*Interruptions*)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : सभापति महोदय, मैं विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.498(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 500(अ) जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे **(केवल हिन्दी संस्करण में)** तथा जिसमें, उसमें उल्लिखित, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 2025 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(तीन) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 4 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.525(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) पांचवां संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.536(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : सभापति महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 22 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.488(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

… (व्यवधान)

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1203 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th August, 2025 agreed without any amendment to the Mines and Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th August, 2025."

… (*Interruptions*)

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

1204 hours

HON. CHAIRPERSON: The Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in their second Report have recommended that leave of absence be granted to the following members for the periods indicated against each:

1.	Shri Shahu Shahaji Chhatrapati	10.03.2025 to 04.04.2025
2.	Shri Chh. Udayan Raje Bhonsle	24.07.2025 to 12.08.2025
3.	Shri Sudip Bandyopadhyay	21.07.2025 to 12.08.2025: 18.08.2025 to 21.08.2025
4.	*Shri Amritpal Singh	31.01.2025 to 13.02.2025; 10.03.2025 to 04.04.2025; 21.07.2025 to 08.08.2025
5.	Shri Ajay Kumar Manda	21.07.2025 to 12.08.2025
6.	Shri P.V. Midhun Reddy	21.07.2025 to 12.08.2025; 18.08.2025 to 21.08.2025

* **Member was earlier granted leave by the House on 11.03.2025 for 54 days from 24.06.2024 to 02.07.2024; 22.07.2024 to 09.08.2024 and 25.11.2024 to 20.12.2024 on the recommendation made by the Committee in its First Report.**

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Leave is granted. The members will be informed accordingly.

… (*Interruptions*)

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE,
ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING
14th to 21st Reports

1205 hours

SHRI CHARANJIT SINGH CHANNI (JALANDHAR): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing (2024-25):-

(1) Fourteenth Report on the subject 'Role of NDDB for Protection and Development of Indigenous Cattle Breeds' pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying).

(2) Fifteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 66th Report (17th Lok Sabha) on the subject 'Spread of Lumpy Skin Disease in Cattle in the Country and issues related therewith' pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying).

(3) Sixteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 2nd Report (18th Lok Sabha) on the Demands for Grants (2024-25) pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education).

(4) Seventeenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 8th Report (18th Lok Sabha) on the Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Ministry

of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education).

(5) Eighteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 67th Report (17th Lok Sabha) on the subject, 'Scheme for Creation/Expansion of Food Processing and Preservation Capacities (CEFPPC) – An Evaluation' pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

(6) Nineteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 6th Report on the Demands for Grants (2024-25) (18th Lok Sabha) pertaining to the Ministry of Cooperation.

(7) Twentieth Report on the subject, 'Development and Modernization of Fishing Harbours' pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries).

(8) Twenty-first Report on the subject, "Initiatives taken in the Food Processing Sector under 'Make in India' Program" pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

… (*Interruptions*)

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

9वाँ से 13वाँ प्रतिवेदन

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले (जालना) : महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'उर्वरक पीएसयू के विनिवेश से संबंधित मामले - एक समीक्षा' के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।
(5) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'खाद्य-ग्रेड प्लास्टिक की खराब/घटिया गुणवत्ता के उपयोग और भारतीय जलवायु की चरम स्थितियों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य संबंधी खतरे' के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

(1205/RTU/VB)

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE,
ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING
Statement

SHRI CHARANJIT SINGH CHANNI (JALANDHAR): Sir, I rise to lay the Statement (Hindi and English versions) showing further action taken by the Government on the 13th Report on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 70th Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing (2023-24) on the subject “Employment Generation and Revenue Earning Potential of Fisheries Sector” pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries).

… (*Interruptions*)

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS
6th Report

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, I rise to present the Sixth Report (Hindi and English versions) on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the Third Report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs (2024-25) on the subject, “Demand for Grants (2025-2026)” of the Ministry of Housing and Urban Affairs.

… (*Interruptions*)

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति
254वाँ प्रतिवेदन

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं 'साइबर अपराध – जटिलताएं, सुरक्षा और रोकथाम' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 254वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS
369th and 370th Reports

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (KAZIRANGA): Sir, I rise to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports:-

1. 369th Report on "Review of functioning and performance of Sports Authority of India (SAI) and Khelo India" pertaining to the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports.
2. 370th Report on "Implementation of Article 15(5) of Indian Constitution regarding Special Provision for Reservation to SCs/STs and OBCs in Educational Institutions including Private Educational Institutions" pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education.

… (*Interruptions*)

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
380th Report

SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI (UTTARA KANNADA): Sir, I rise to lay the 380th Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the subject, "Overall Review of Safety in the Civil Aviation Sector".

… (*Interruptions*)

STATEMENTS RE: WITHDRAWAL OF FUNDS FROM CONTINGENCY FUND OF INDIA -- LAID

1208 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, in pursuance with para 5 of appendix 1 of Delegation of Financial Powers Rules, 2024, I would like to lay the following statements regarding:-

1. withdrawal of funds from Contingency Fund of India for expenditure in respect of SATCOM Monitoring Facility Project by Department of Telecommunications of the Ministry of Communications.
2. withdrawal of funds from Contingency Fund of India for servicing Interest on Sovereign Guarantee Bonds raised by Mahanagar Telephone Nigam Limited, Department of Telecommunications of the Ministry of Communications.

… (*Interruptions*)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 5वें और 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखे गये

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-2025)' संबंधी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-2026)' संबंधी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 5TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH)**:** Sir, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on "Demands for Grants (2024-2025)" pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

… (*Interruptions*)

(1210/SJN/UB)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के छठे, 8वें, 38वें और 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखे गए

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-2025)' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-2026)' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित 'भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का कार्यकरण' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित 'उचित मूल्य की दुकानों का रूपांतरण' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

… (व्यवधान)

PROMOTION AND REGULATION OF ONLINE GAMING BILL

1211 hours

THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to promote and regulate the online gaming sector including e-ports, educational games and social gaming; to provide for the appointment of an Authority for coordinated policy support, strategic development and regulatory oversight of the sector; to prohibit the offering, operation, facilitation, advertisement, promotion and participation in online money games through any computer resource, mobile device or the internet, particularly where such activities operate across State borders or from foreign jurisdiction; to protect individuals, especially youth and vulnerable populations, from the adverse social, economic, psychological and privacy-related impacts of such games; to ensure the responsible use of digital technologies; to maintain public order and protect public health; to safeguard the integrity of financial systems and the security and sovereignty of the State; to establish a uniform, national-level legal framework in the public interest; and for matters connected therewith or incidental thereto. … *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI P. C. MOHAN): Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to promote and regulate the online gaming sector including e- ports, educational games and social gaming; to provide for the appointment of an Authority for coordinated policy support, strategic development and regulatory oversight of the sector; to prohibit the offering, operation, facilitation, advertisement, promotion and participation in online money games through any computer resource, mobile device or the internet, particularly where such activities operate across State borders or from foreign jurisdiction; to protect individuals, especially youth and vulnerable populations, from the adverse social, economic, psychological and privacy-related impacts of such games; to ensure the responsible use of digital technologies; to maintain public order and protect public health; to safeguard the integrity of financial systems and the security and sovereignty of the State; to establish a uniform, national-level legal framework in the public interest; and for matters connected therewith or incidental thereto."

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manish Tewari.

… (*Interruptions*)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, आप पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए, एसआईआर पर बहस कराइए। पहले एसआईआर पर बहस कराइए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri N. K. Premachandran.

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the House is not in order. … *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to promote and regulate the online gaming sector including e- ports, educational games and social gaming; to provide for the appointment of an Authority for coordinated policy support, strategic development and regulatory oversight of the sector; to prohibit the offering, operation, facilitation, advertisement, promotion and participation in online money games through any computer resource, mobile device or the internet, particularly where such activities operate across State borders or from foreign jurisdiction; to protect individuals, especially youth and vulnerable populations, from the adverse social, economic, psychological and privacy-related impacts of such games; to ensure the responsible use of digital technologies; to maintain public order and protect public health; to safeguard the integrity of financial systems and the security and sovereignty of the State; to establish a uniform, national-level legal framework in the public interest; and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1212 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over slips at the Table of the House immediately.

Re: Need to establish a 100-bedded ESIC hospital in Jalgaon district, Maharashtra

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : मैं इस सदन के माध्यम से जळगांव में 100-बेड वाले ESIC अस्पताल की स्थापना हेतु वर्षों से लंबित मांग को पुनः उठाना चाहती हूँ। जळगांव उत्तर महाराष्ट्र का प्रमुख औद्योगिक जिला है, जहाँ टेक्सटाइल, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में कार्यरत 3 लाख से अधिक श्रमिक ESIC से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद जिले में एक भी ESIC अस्पताल उपलब्ध नहीं है। सबसे नज़दीकी अस्पताल औरंगाबाद (संभाजीनगर) में है, जो 150 किलोमीटर से अधिक दूर है। इससे श्रमिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी भारी कठिनाई होती है। मैं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार का आभार प्रकट करती हूँ, जिनके नेतृत्व में देशभर में ESIC सेवाओं का विस्तार हुआ है। अब जळगांव की बारी है। MIDC ने ₹1 प्रति वर्ग मीटर की दर से 5.36 एकड़ भूमि आवंटित की है, किंतु ESIC कार्यालय द्वारा समय पर औपचारिकताएं पूरी न होने से यह भूमि रद्द होने के खतरे में है। मैं श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री से आग्रह करती हूँ कि इस प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप कर प्रक्रिया पूरी कराएं, जिससे यह आवश्यक परियोजना जळगांववासियों को शीघ्र मिले।

(इति)

Re: Need to provide irrigation facilities to people living in Tribal areas of Bharuch Parliamentary Constituency

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत सागबारा, डेडियापाड़ा, वालिया, नेतरंग और झगडिया वाला ये पूरा क्षेत्र ट्राइबल बेल्ट है तथा इन क्षेत्रों में अधिकतर जनजातीय वर्ग के गरीब परिवार रहते हैं। इन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण लोग अपने खेतों में सिंचाई के लिए बरसात के पानी पर पूरी तरह निर्भर है क्योंकि सिंचाई की सुविधा यहां पर नाममात्र की है। मैं अपने संसदीय जीवन के विगत वर्षों में इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु निरंतर मांग करता रहा हूं। उकाई सिंचाई योजना और नर्मदा सिंचाई योजना के तहत नहर के माध्यम से और डेडियापाड़ा में गंगापुर डैम का नया निर्माण करके इस पूरी बेल्ट को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाए। मैं इस योजना से संबंधित प्रारूप राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूर्व में ही भेज चुका हूं।

इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त क्षेत्रों के जनजातीय वर्ग के लोगों को खेतीबाड़ी एवं पशुपालन हेतु सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं जिससे इन क्षेत्रों के विकास को गति मिल सके तथा जीविका की तलाश में इन क्षेत्रों के युवाओं का पलायन भी रुक सके तथा वे अपने क्षेत्रों में ही तरक्की एक विकास के रास्ते ढूंढ सकें।

(इति)

Re: NCC (Air Wing) training in schools and colleges in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शैक्षणिक एवं सैन्य केंद्र है, जहाँ बड़ी संख्या में सेवारत एवं पूर्व सैनिक रहते हैं। वर्तमान में जिले में केवल NCC थलसेना स्कंध का सीमित प्रशिक्षण उपलब्ध है, जबकि वायु स्कंध (Air Wing) का कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। इच्छुक छात्रों को वाराणसी जाना पड़ता है, जो अधिकांश के लिए कठिन है। गोरखपुर भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण केंद्र है और आवश्यक सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। अतः मै आपके माध्यमसे भारत सरकर अनुरोध है कि गोरखपुर के विश्वविद्यालयों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में NCC वायु स्कंध का प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

(इति)

Re: Development of water bodies in North West Delhi Parliamentary Constituency

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : मैं आज अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली में जल निकायों के विकास के बारे में इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जल निकाय दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), राजस्व विभाग और बाढ़ और सिंचाई विभाग सहित कई एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में हैं। जबकि इन जल निकायों में जीवंत पारिस्थितिक तंत्र और मनोरंजक स्थानों में बदलने की क्षमता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में जल निकायों की पहचान करें, जल निकायों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए एक व्यापक योजना विकसित करें और इन जल निकायों के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित कर सभी जल निकायों को पुन: विकसित किया जाए तथा इन जल निकायों के विकास और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन प्रदान करें। उत्तर पश्चिम दिल्ली में जल निकायों का विकास न केवल क्षेत्र की सौंदर्य अपील को बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय वन्यजीवों के लिए एक आवास और निवासियों के लिए मनोरंजक अवसर भी प्रदान करेगा। मैं सरकार से इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और उत्तर पश्चिम दिल्ली में जल निकायों के विकास को सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं।

(इति)

Re: Need to expedite completion of Phase III railway tunnel project at Maharashtra – Madhya Pradesh border

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): I wish to bring to the notice of the Hon'ble Railway Minister the delay in Phase III (Akot–Amalkhurd–106.39 km) of the Akola–Khandwa broad gauge conversion project, approved in 2018–19 at a cost of ₹2883.30 crore. While Phase I (Akola–Akot) and Phase II (Amalkhurd–Khandwa) are completed, Phase III-which includes a 6.8 km tunnel at the Maharashtra–Madhya Pradesh border-is still pending. This is affecting connectivity between Vidarbha (Maharashtra) and Madhya Pradesh. I request the Hon'ble Minister to provide the current status of Phase III and the tunnel; clarify if land acquisition is pending in any section; share any cost escalation due to the delay; explain the financial impact if the project is further delayed; and ensure fast-track execution with adequate resource allocation. Timely completion will significantly benefit regional connectivity and economic development.

(ends)

Re: Need to take comprehensive measures to empower the young mass of Jagatsinghpur district in Odisha as skilled micro entrepreneurs

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): The Micro-entrepreneurial landscape in Jagatsinghpur district of Odisha, is characterized by a mix of traditional industries and emerging sectors, with a strong focus on women's participation. Rural Entrepreneurship programmes have been instrumental in developing the handicraft sector, creating income and employment opportunities, particularly for women. Further, Jagatsinghpur district of my Parliamentary Constituency has a notable presence of many heavy and big industries including the agro-processing, manufacturing, and fisheries, with the presence of Paradip Port, IFFCO Ltd etc. The district is attracting industrialization due to a favorable environment for various businesses houses. However, skill development and backward and forward market linkages for micro-entrepreneurs is still missing due to inadequate policy and financial support and required skill set. In this context, I would like to draw the attention of the Hon'ble Union Minister to take initiative to empower the young mass as skilled micro entrepreneurs by equipping them with comprehensive knowledge of forward and backward market linkages and enabling them to grow and compete with market driven forces in Jagatsinghpur District of Odisha. (ends)

Re: Compensation to farmers in lieu of loss incurred by them due to power transmission lines passing over their agriculture fields in Bardoli Parliamentary Constituency

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली) : मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र बारडोली लोकसभा, गुजरात के एक अति महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र में पावर ग्रिड और स्टर्लाईट कंपनी की 765 के.वी. डी/सी. विद्युत लाइन सूरत जिले से होकर गुजरती है जिससे उनकी उपजाऊ भूमि का स्थायी नुकसान हो रहा है। इस विद्युत लाइन से गुजरने वाले मांगरोल, मांडवी, कामरेज, बारडोली और पलसाना तहसील के किसानों को मुआवज़ा देने का प्रश्न उठा है। इसके बावजूद इन प्रभावित किसानों को उनके गाँव की जंत्री या पड़ोसी तालुका के गाँवों की अधिकतम जंत्री के अनुसार अब तक उचित मुआवज़ा नहीं दिया गया है। यह सिर्फ मुआवजे का सवाल नहीं है – यह सवाल है किसानों के सम्मान, न्याय और आजीविका का। जब हम ऊर्जा विकास की बात करते हैं, तब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास "जनहित में और जन की सहमति से" हो। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से संसदीय क्षेत्र के प्रभावित तालुका के किसानों को उनकी भूमि का मुआवज़ा अधिकतम जंत्री के अनुसार दिए जाने हेतु माँग करता हूँ।

(इति)

Re: Need to establish a Haldi Board Satellite Office in Kandhamal district, Odisha

SHRI SUKANTA KUMAR PANIGRAHI (KANDHAMAL): I wish to raise a matter of urgent public importance regarding the establishment of a Satellite Office of the proposed "Haldi Board" in Kandhamal district, Odisha. Kandhamal is renowned worldwide for its unique organic turmeric, "Kandhamal Haldi", which secured the Geographical Indication (GI) tag in 2019. Rich in curcumin content (4.5-5.5%), this turmeric is not just a spice but a symbol of tribal heritage, nutritional wealth, and India's wellness culture. Turmeric cultivation in Kandhamal spans nearly 20,000 hectares, producing about 30,000 metric tonnes annually, sustaining the livelihoods of over 60,000 tribal households. Despite this, farmers suffer due to lack of direct market access, distress pricing, weak processing facilities, and inadequate branding support. India contributes nearly 80% of global turmeric output with exports worth 1,600 crore annually, yet Odisha's share is minimal, with only 1,500 MT exported in 2023-24. I urge the Hon'ble Minister to establish a Haldi Board Satellite Office in Kandhamal for research, marketing, and export facilitation; provide financial, technical, and branding support for turmeric farmers, SHGs, and FPOS; and include Kandhamal under special incentives for organic and GI products. This step will transform Kandhamal into a Global Haldi Capital, empowering tribal farmers and strengthening India's agri-export leadership.

(ends)

Re: Need to roll back the hike in rate of Toll Tax for residents living in the surroundings of Uthaman Toll Plaza between Sheoganj and Sirohi district headquarters in Rajasthan

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : सिरोही जिला मुख्यालय और शिवगंज के बीच 4 लेन सड़क पर उथमण टोल स्थित है। 11 साल से संचालित इस टोल प्लाजा पर 20 किलोमीटर परिक्षेत्र के स्थानीय वाहनों का शुल्क मात्र 1 रुपया था। इस शुल्क की दर को धीरे धीरे बढ़ाकर 50 रुपए, 100 रुपए व 150 रुपए किया गया और अब 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी दर 300 रुपए कर दिया गया है। अधिकांश स्थानीय वाहन तो ऐसे होते हैं जो दो तीन महीने में एक बार ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं। इसके बावजूद उन्हें 300 रुपए देने पड़ रहे हैं। यह स्थानीय वाहन मालिकों के साथ घोर नाइंसाफी है। दरअसल स्थानीय वाहन मालिक बिना किसी तरह के व्यवसायिक उद्देश्य के घरेलू कामकाज के लिए इस 4 लेन सड़क पर आवागमन करते है। इनके लिए यह भारी टोल शुल्क वसूल किया जाना अनुचित है। इस कारण स्थानीय लोगों व स्थानीय वाहन मालिकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। मेरे संसदीय क्षेत्र में मोरस टोल नाका और स्वरूपगंज टोल नाका के बीच मात्र 40 कि0मी. की दूरी है नियमानुसार दो टोल के बीच की दूरी कम से कम 60 कि0मी0 होना चाहिए। अतः इस टोल नाका को समाप्त करने का श्रम करावे। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर उथमण टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों पर बढाए गए शुल्क को शीघ्रातिशीघ्र रद्द करवाने तथा पुरानी टोल दर को ही चालू रखवाने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Need to review the decision on enhanced conversion charges for leasehold to freehold properties in Chandigarh

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): The recent decision of the Chandigarh Administration to impose a steep hike in conversion charges for lease hold-to-freehold properties, effective from June 30, 2025, has caused deep distress among thousands of residents, many of whom are retired individuals, salaried middle-class families, and members of cooperative housing societies who have waited patiently for years for the regularisation of their homes. The conversion charges had remained unchanged since 2017. This arbitrary and sudden increase, introduced without meaningful public consultation or transparent justification, has not only blindsided citizens but also betrayed their legitimate expectations. It reflects a disturbing lack of sensitivity to the economic hardships faced by ordinary people. This move contradicts the broader goal of regularising tenure and empowering urban residents with secure property titles. It reflects a troubling pattern of policy decisions that prioritise revenue generation over the rights and welfare of citizens. I urge the Union Government to immediately review this hike, explain the rationale behind it, and direct the Chandigarh Administration to roll back the increase. It must be ensured that any future policy changes are rooted in fairness, transparency, and public interest. (ends)

Re: Need for technical and financial assistance for revival and modernization of Kothagudem Thermal Power Station in Telangana

SHRI RAMASAHAYAM RAGHURAM REDDY (KHAMMAM): I request the intervention of the Union Ministry of Power in reviving and modernizing the Kothagudem Thermal Power Station, located at Paloncha in Bhadradri Kothagudem District of Telangana. KTPS has been one of the oldest and most significant thermal power stations in Southern India, contributing about 820 Megawatt power to the energy supply in Telangana. However, several units of KTPS have become non-operational or are running under reduced efficiency due to outdated infrastructure and insufficient upgradation over the years. Telangana’s growing power demand requires sustained base-load generation, which KTPS can support. KTPS spread over 500 acres of land bank and its proximity to Singareni coalfields ensures uninterrupted fuel supply. Dedicated railway lines, Kinnerasani Reservoir for water supply, existing power supply lines with sub-stations and switch yards makes it easier for the revival and modernization of the plant with two units of 800 Megawatt units each. I request the Union Ministry to extend technical and financial assistance, under centrally sponsored schemes like R&M programs for old thermal stations, and to coordinate with the State Government of Telengana for the revival of the plant.

(ends)

Re: Need to develop a fast-track mechanism to bring back mortal remains of Indian Citizens who die in foreign countries

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू के हज़ारों लोग रोजगार एवं उच्च शिक्षा के लिए विदेशों, विशेषकर खाड़ी देशों और यूरोप में रहते हैं। हाल ही में, नोहर के एक युवा का जर्मनी में असमय निधन हो गया, जिसकी मृत देह को भारत लाने में 20 दिन का समय लग गया। इस दौरान पीड़ित परिवार गहरे मानसिक आघात से गुज़रा — न वे वहां जा सके, न ही अंतिम संस्कार शीघ्र कर पाए। खाड़ी देशों में यह स्थिति और भी गंभीर है, जहां कभी-कभी मृतक की देह को स्वदेश लाने में 6-6 महीने तक का समय लग जाता है। यह देरी न केवल मृतक के परिवार के लिए असहनीय पीड़ा का कारण बनती है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के पालन में भी बाधा उत्पन्न करती है। अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ऐसे मामलों में विशेष त्वरित सहायता तंत्र (Fast-Track Mechanism) बनाया जाए, भारतीय दूतावासों की जिम्मेदारी और संसाधनों को बढ़ाया जाए, तथा विदेशों में भारतीयों की मृत्यु होने पर मृत देह को जल्द से जल्द स्वदेश लाने के लिए ठोस एवं समयबद्ध व्यवस्था की जाए। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए विशेष सहायता कोष/फ्रेट सब्सिडी और लीगल-लायज़न सपोर्ट प्रदान किया जाए। (इति)

Re: Alleged irregularities in Municipal Corporation of Mumbai and other Government establishments

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : हर साल मुंबई में मानसून से पहले नालों की सफाई का दावा किया जाता है,लेकिन 27 मई की दो घंटे की बारिश में केम्प्स कॉर्नर की सड़क बह गई और नई मेट्रो में पानी भर गया। लोकमत की रिपोर्ट है कि नाले की सफाई की ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शी नही है। मुंबई में सड़कों के कांक्रीटीकरण के लिए 12,000 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए ,लेकिन सिर्फ 28% काम हुआ जो सड़कें बनी हैं,वे दो महीने में ही गड्ढों से भर जाती हैं।पिछले साल की तुलना में गड्ढों की शिकायतें 8% बढ़ी हैं। बेस्ट बस को लीज पर देकर जनता के करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी। SRA परियोजनाओं में भी नियम तोड़कर कुछ कंपनियों को कथित रूप से अनुचित लाभ दिया गया है। मेरी मांग है कि सरकार मुंबई महानगरपालिका और अन्य सरकारी संस्थाओं में हो रही अनियमितताओं पर श्वेतपत्र जारी करे और दोषियों पर ACB से जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाए। (इति)

Re: Need to set up departments for different medical science disciplines in Shaikh-Ul-Hind Maulana Mahmood Hasan Medical College in Saharanpur, Uttar Pradesh

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : सहारनपुर मंडल, जिसकी आबादी लगभग 70 लाख है और जिसमें 70% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। पूरे मंडल का प्रमुख सरकारी अस्पताल शेख-उल-हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज मात्र 430 बिस्तरों का है। सहारनपुर, शामली और मुज़फ्फरनगर—तीनों जिलों में दिल का दौरा पड़ने पर मरीज को फर्स्ट एड देने की सरकारी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में लोगों को प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है, जहां केवल फर्स्ट एड के लिए 50–60 हज़ार रुपये तक वसूले जाते हैं। किडनी के मरीजों को इलाज के लिए देहरादून, चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है, जिससे गरीब मरीज पर 500–1000 रुपये का सफर खर्च और अतिरिक्त अस्पताल खर्च का बोझ पड़ता है। कैंसर रोगियों की स्थिति भी चिंताजनक है; बड़े शहरों में रेफर होने से इलाज में देरी होती है, जिससे जान को खतरा बढ़ता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक बनाने की व्यवस्था है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, कैथ लैब, ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग की स्थापना हेतु तत्काल बजट आवंटित कर कार्रवाई की जाए। (इति)

محترمہ اِقرا چودھری (کیرانہ): محترم چیرمین صاحب، سہارنپور منڈل جس کی آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے اور جس میں سے 70 فیصد سے زیادہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں سنگین بیماریوں کی مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں۔ پورے منڈل کا اہم سرکاری اسپتال شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن میڈیکل کالج صرف 430 بستروں کا ہے۔ سہارنپور، شاملی، مظفر نگر تینوں ضلعوں میں دل کا دورہ پڑنے پر مریض کو فرسٹ ایڈ دینے کی سرکاری سہولیت تک دستیاب نہیں ہے۔ مجبوری میں لوگوں کو پرائیویٹ اسپتال جانا پڑتا ہے۔ جہاں صرف فرسٹ ایڈ کے لئے 60-50 ہزار روپئے تک وصولے جاتے ہیں۔ کڈنی کے مریضوں کو علاج کے لئے دہرادون، چندی گڑہ یا دہلی جانا پڑتا ہے، جس سے غریب مریض پر 1000-500 روپئے کس سفر خرچ اور اسپتال کا علیحدہ خرچ جھیلنا پڑتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ بڑے شہروں میں ریفر ہونے سے علاج میں دیری ہوتی ہے، جس سے جان کا خطرہ بڑھتا ہے۔ پردھان منتری سواستھیہ سرکشا یوجنا (PMSSY) کے انتر گت میڈیکل کالجوں کو آدھونِک بنانے کی ویوستھا ہے۔ میں سرکار سے گزارش کرتی ہوں کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن میڈیکل کالج میں سپر اسپیشیلیٹی بلاک، پیتھ لیب اینکولوجی اور نیفرولوجی وِبھاگ کی اِستھاپنا کے لئے فوراً بجٹ آونٹِٹ کر کاروائی کی جائے ۔

(شکریہ)

Re: Need to take action on the proposals sent by Legislative Assemblies for inclusion of certain Castes in the list of Scheduled Castes

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : मैं सरकार का ध्यान समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के उन लोगों की ओर दिलाना चाहता हूँ जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थिति का सही आकलन न होने से ऐसे समूह से आने वाली जातियां संविधान की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं हो पाई थी, परंतु समय-समय पर कई प्रदेशों में उसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया। इस विसंगति को दूर करने हेतु कई स्तर पर समीक्षा करने एवं अनुसूची में संशोधन कर उन जातियों को जैसे बिन्द, गोंड, कहार, बियार, राजभर, निषाद आदि को विधानसभाओं से उनके पक्ष में निर्णय लेने हेतु समय-समय पर भारत सरकार को भेजा गया, परंतु अभी तक कोई ठोस निर्णय एवं विचार उपरोक्त समाज के पक्ष में नहीं आया।

अंतः पूर्व के आवेदन एवं समय-समय पर विधान सभाओं से भेजे गए प्रस्ताव पर सरकार विचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करें।

(इति)

Re: Problems being faced by the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the country

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), the very backbone of India's economy, are facing a critical juncture. While MSMEs contribute a substantial 30% to India's GDP and employ over 60% of the workforce, the sector's financial health is under severe strain. As of March 31, 2024, gross non-performing assets (GNPAs) related to MSME credit stood at Rs 1.25 lakh crore. Although the share of GNPAs has decreased from 11.03% in March 2020 to 4.46% in March 2024, this improvement masks deeper issues. Critically, the credit penetration rate within the MSME sector remains a dismal 14%, far below developed economies like the US (50%) and China (37%), as reported by Ernst & Young in 2023. This vast credit gap, estimated at Rs 30 lakh crore, hinders MSME growth. With approximately 5.6 crore MSMEs in India, the closure of 61,500 units in the last four years is alarming. The COVID-19 pandemic, coupled with digitization challenges, low demand, and labour shortages, has crippled businesses. Furthermore, complex eligibility criteria and opaque CIBIL scoring methods hinder access to formal credit. I urge the government to simplify credit regulations, enhance financial literacy, and boost institutional support to bridge the credit gap. (ends)

Re: Need to allocate 5% of the total amount earmarked as capital expenditure to Tamil Nadu for development of railway infrastructure in the State

SHRI S. JAGATHRATCHAKAN (ARAKKONAM): Accounting for 9% of India’s GDP, Tamil Nadu stands as an economic power house. Infrastructure has been bedrock for Tamil Nadu’s economic excellence. Tamil Nadu has an extensive transport network, India's second-largest coastline, 3 of the country's 13 major ports. Yet the development of infrastructure should always aid and accommodate a rapidly growing economy. It is essential to embrace a comprehensive Rail infrastructure for a sustained growth of our state. Unfortunately, Tamil Nadu was allotted only 1%, out of the total amount earmarked as capex for the Indian Railways since 2014. This is a gross injustice done to the people of Tamil Nadu who play a remarkable role in India’s journey to $5 Trillion economy. There is an urgent need to develop a dedicated Rail freight corridor connecting Chennai – Bengaluru and exclusive rail connectivity to all major Ports cities, i.e. Chennai, Ennore, Katupalli, Thoothukudi & Cuddalore. High speed rail corridors Connecting Chennai with nearby cities like– Vellore, Villupuram, Gummidipoondi, and with other major cities like Kanyakumari, Coimbatore, should be developed, to reduce the travel time by 50-60%. Therefore, I urge the Union Government to allocate 5% of the total amount earmarked as capex for Indian Railways to Tamil Nadu. (ends)

Re: Construction of a Pit Line at Thawe Junction railway station, Gopalganj district, Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : रेलवे ने 1337 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के थावे जंक्शन को भी इस योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। थावे जंक्शन के पास प्रचुर मात्रा में जमीन उपलब्ध है जिससे यहां आसानी से पिट लाइन या रेलवे पिट बनाई जा सकती है। थावे जंक्शन NER के बनारस डिवीजन में आता है। लेकिन बिहार में पड़ने वाले इस डिवीज़न में केवल छपरा जंक्शन पर पिट लाइन या रेलवे पिट की सुविधा उपलबध है। अगर थावे जंक्शन पर पिट लाइन या रेलवे पिट बनाई जाती है तो थावे जंक्शन से दिल्ली और विभिन्न महानगरों के लिए सुपरफास्ट ट्रेन आसानी से चलाई जा सकती है। थावे जंक्शन में कमर्शियल फीजिबिलिटी है जिससे रेलवे को प्रचुर मात्रा में रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। विदित हो कि मैं यह निवेदन रेल मंत्रालय से पिछले 6 सालों से लगातार करता आ रहा हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि थावे जंक्शन के खाली पड़े जमीन का सदुपयोग करते हुए पिट लाइन या रेलवे पिट का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ से सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा दिल्ली और अन्य महानगरों के लिए मिल सके।

(इति)

Re: Issues faced by farmers with wind energy project setups on their land in Maharashtra

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने गृह ज़िले धाराशिव (महाराष्ट्र) और अन्य राज्यों में किसानों की भूमि पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े शोषण की ओर दिलाना चाहता हूँ। कई किसानों को बिना पूरी जानकारी और कानूनी सलाह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए गए, बहुत कम लीज़ राशि दी जा रही है, और बिजली उत्पादन व राजस्व के आंकड़े साझा नहीं किए जाते। इससे किसानों की आमदनी घट रही है, खेती व चरागाह भूमि प्रभावित हो रही है और पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सांगली व सतारा सहित तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। सरकार से अनुरोध है कि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मानकीकृत और पारदर्शी लीज़ व्यवस्था, उचित भुगतान, मुनाफा-साझेदारी और प्रभावी विवाद निवारण तंत्र लागू किया जाए। (इति)

Re: Alleged rise in drug manufacturing and trafficking in Sangli district, Maharashtra

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): I wish to draw the attention of the Government to the alarming rise in drug manufacturing and trafficking in Sangli district. Recently, authorities uncovered yet another large-scale mephedrone (MD) racket, the 14th such case in the district, indicating the district’s emergence as a hub for this illegal trade. The easy availability of mephedrone poses a grave threat to children and youth. Scientific studies confirm that adolescent exposure to such synthetic drugs severely impairs memory, learning, and concentration. These effects are likely to contribute to a decline in Foundational Literacy and Numeracy (FLN) outcomes in the district. This crisis not only endangers public health and safety but also undermines educational progress, particularly in vulnerable communities. I, therefore, urge the Hon’ble Ministers of Home Affairs, Education, and Women & Child Development to launch a coordinated action plan involving strict law enforcement, awareness programmes in schools, rehabilitation initiatives, and targeted academic support for affected children. Such coordinated measures are essential to eradicate the menace, protect our youth, and ensure an enabling, drug-free learning environment. (ends)

… *(Interruptions)*

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : महोदय, जब से यह मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से ये लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने के लिए यह विषय तीन दिन से सदन की कार्य-सूची में लिस्टेड हो रहा है। … (व्यवधान) यह बहुत दुख की बात है। हमारे देश के नायक, जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की और वहां भारत के झंडे को लहराया है। उनको विपक्ष के लोगों ने सम्मानित करने का भी मौका नहीं दिया है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। आप देखिए कि यह सब देखकर बहुत खराब लगता है। आपकी इन हरकतों पर पूरी दुनिया हंसती है।…(व्यवधान)

अब स्कूल के बच्चे भी बोलने लगे हैं कि क्या संसद सदस्य ऐसा बर्ताव करते हैं? आप शांत दिमाग से इसके बारे में सोचिए। हम सरकार के बिजनेस को पारित करके रहेंगे। हमें देश और समाज के हक में जो काम करने हैं, हमें देश की जनता ने जो दायित्व दिया है, वह काम हम करेंगे। … (व्यवधान) लेकिन हंगामा करने से आप लोगों का ही नुकसान होता है। … (व्यवधान)

यह सदन सबका है। संसद सदस्यों का सदन है। इस समय सबसे ज्यादा नुकसान नए संसद सदस्यों और विपक्ष के साथियों का हो रहा है। … (व्यवधान) आप लोग सोचते हैं कि हंगामा करने से कोई फायदा मिलेगा। जो ज्यादा हंगामा करेगा, जनता उसको पूरी तरह से नकार देगी। आप लोगों को कोई भी सहानुभूति प्राप्त नहीं होगी।… (व्यवधान)

इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग विधेयकों की चर्चा में भाग लीजिए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने में हमारा साथ दीजिए। मैं पुनः आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं। … (व्यवधान)

(1215/NKL/DPK)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): Hon. Members, I request all of you to go and sit in your respective seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet at 2 p.m.

… (*Interruptions*)

1215 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

(1400/VR/PC)
1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुन: समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

1400 बजे

(इस समय श्री सुदामा प्रसाद, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 20, 21 और 22, माननीय गृह मंत्री जी।

… (व्यवधान)

संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक

और

संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक

और

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक

1401 बजे

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

और

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

और

"कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी जी।

… (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I stand to oppose the introduction of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025, the Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025 and the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025. *....(Interruptions)*

Sir, this violates the principle of separation of powers, due process and undermines the right of the people to elect a Government. *....(Interruptions)* It gives Executive agencies a free run to become judge, jury and executioner based on flimsy allegations and suspicions. *....(Interruptions)* Sir, it is only when an offence is proved beyond reasonable doubt, that you can leave the post and the membership. *....(Interruptions)* But here, on a mere accusation or allegation, the punishment of losing one's Ministerial post will follow. *....(Interruptions)*

Sir, in parliamentary democracies, Chief Ministers and Ministers can only be removed through two means. *....(Interruptions)* The first is that the Prime Minister can recommend their removal and, the second is when the Council of Ministers loses the confidence of the Legislature. *....(Interruptions)* Now, this Bill would empower the unelected Executive at bureaucracy to play the role of the Legislature. *....(Interruptions)*

Sir, it undermines representative parliamentary democracy. *....(Interruptions)* This amendment would leave the Minister and the Chief Minister at the mercy of the Executive agencies. *....(Interruptions)* The severity of the amendment is not only in the fact that one loses his position if he is arrested, but even if he is detained. *....(Interruptions)* That means, detention is an administrative action and does not require an offence to be made. *....(Interruptions)* The Chief Minister and Ministers will not be accountable to the people. *....(Interruptions)*

Sir, the hon. Home Minister read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister I to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. *....(Interruptions)* Now, this Bill clearly violates Article 74(1)*. ...(Interruptions)*

Sir, this reminds me of the 1933 when Gestapo was formed in Germany. *....(Interruptions)* This Government is hellbent on creating a police State. *....(Interruptions)* This will be a death knell and leash on elected Governments. *....(Interruptions)* The Indian Constitution is being amended to turn this country into a police State. *....(Interruptions)*

Sir, the Home Minister promised in this House that provisions under Section 152 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) which are related to sedation would not be used. *....(Interruptions)* Sir, Sections 316 and 9 of the BNS, and Section 4 of the Prevention of Money-Laundering Act (PMLA) can be used to destabilize an elected Government. *....(Interruptions)*

That is why, I oppose the introduction of all these three Bills. *....(Interruptions)* This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. *....(Interruptions)* May I tell the hon. Home Minister that despite his promise on Section 152 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), it has been used against a senior journalist Siddharth Varadarajan in Assam also. *....(Interruptions)* That is why I oppose the introduction of these three Bills, Sir. Thank you. *....(Interruptions)*

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Hon. Speaker, Sir, I rise to oppose the introduction of these three Bills under Rules 72 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. *....(Interruptions)* This Bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. *....(Interruptions)*

(1405/PBT/SPS)

अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा यह कहता है कि कानून का राज़ होना चाहिए। … (व्यवधान) There should be rule of law. उस कानून के राज़ की बुनियाद है कि आप तब तक बेगुनाह हैं, जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता है। … (व्यवधान) You are innocent until proven guilty. This Bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I have opposed this Bill is this. It violates Article 21. … (*Interruptions*) The due process clause, FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This Bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. The ground number three is this. It distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing the will of the people. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही संवेदनशील विधेयक है। मेरे दो बिन्दु और हैं। … (व्यवधान) The fourth ground is this. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : जी, हां… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब बिल सदन में आए, तब आप डिटेल में चर्चा करना। अभी नियम 72 के तहत विरोध में केवल सारांश बोलने की परमिशन दी है।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, जो रूल 72 है, वह दो चीज कहता है। एक चीज़ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है और दूसरी चीज़ जनरल अपोज़िशन ऑफ द बिल है, जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। यह इतना संवेदनशील विधेयक है, तो मैं आपसे यह विनती करता हूं कि इस पर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ दो बिन्दु और हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कानूनन बात की है, तो कानून यह भी है। मैं आपको रूल 72 के तहत अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षेप में बोलिए। जब डिटेल में चर्चा हो, आप तब बोलिएगा।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, मेरे सिर्फ दो बिन्दु और हैं। This Bill opens the door for political misuse by instrumentalities of the State whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. Finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. … (*Interruptions*) Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification on conviction, … (*Interruptions*) This makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं। मैं गृह मंत्री से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इन तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। … (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker Sir, I strongly oppose the Bill, the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill as well as the other two Bills. I strongly oppose them on four grounds.

The first ground is that the Bills have to be introduced according to the Rules of Procedure of the House. The Bill is not circulated among the Members. … (*Interruptions*) Yesterday, we have received a copy of the Bill and I would like to know from the hon. Minister what is the undue haste and urgency in bringing such a Constitutional Amendment Bill. What is the emergent need of having such a Bill? … (*Interruptions*) That means the introduction of the Bill itself is lacking bonafides. … (*Interruptions*) The Bill is lacking in bonafides. … (*Interruptions*) That is why, I would like to say that this is introduced with a malafide intention to destabilize the opposition ruled States in various parts of the country. … (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचन्द्र जी, कह रहे हैं कि यह जल्दबाजी में लाया गया है। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता है कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरख्वास्त

करने वाला हूं। **...** (व्यवधान) इस पर संयुक्त समिति**,** जो राज्य सभा और लोक सभा**,** पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों की बनेगी**,** वह इस पर विचार करेगी तथा आपके सामने लेकर आया जाएगा। ... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I agree with the hon. Minister but at the same time, Members have the right to oppose the Bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every Member to oppose the Bill at the time of introduction of the Bill. … (*Interruptions*)

… (*Interruptions*)

(1410/RHL/SNT)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025; the Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025; and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025. … (*Interruptions*)

These Bills are introduced to sabotage the federal system of this country. These Bills are introduced to sabotage the basic principles of the Constitution of this country. The BJP people are saying that this Bill will bring morality in politics. … (*Interruptions*) Can I ask a question to the hon. Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested. I would like to know whether he brought morality at that point in time. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह विषय नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गृहमंत्री जी, बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अब जरा मुझे सुनिए। पहले बैठ जाइए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीजा। गृहमंत्री जी बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं रेकॉर्ड क्लीयर करना चाहता हूं। … (व्यवधान) मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। … (व्यवधान) अरेस्ट होने से पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब मैं कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हुआ, … (व्यवधान) तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया। ये हमें क्या नैतिकता सिखा रहे हैं? … (व्यवधान) मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़ें।… (व्यवधान) हम इतने निर्लज्ज नहीं हो सकते हैं कि हम पर आरोप लगें और हम संवैधानिक पद पर रहें। मैंने अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दिया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप नियम-72 के तहत बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुजा) : सर, आपका डायरेक्शन है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नियम-72 के तहत बोलिए। नियम के तहत बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुजा) : सर, आपका डायरेक्शन है… (व्यवधान) नियम-19 (ए), 19 (बी), कौल एंड शकधर भी है… (व्यवधान) It very clearly states that at least one major notice is needed for introducing a Bill. This Bill is to target the Opposition. This Bill is to strengthen people like ... (*Expunged as ordered by the Chair*) and … ... (*Expunged as ordered by the Chair*) … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। नहीं-नहीं।

… (व्यवधान)

1413 बजे

(इस समय डॉ. मोहम्मद जावेद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र यादव जी बोलना चाहते हैं? कृपया आप पहले अपने दल के माननीय सदस्यों को बैठाएं।

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। ये जो तीनों विधेयक आए हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट। आपको देश देख रहा है कि आप नैतिकता का कितना विरोध कर रहे हो।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश आपको देख रहा है। धर्मेन्द्र जी बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : संविधान का 130वां (संशोधन) विधेयक, 2025, … (व्यवधान) संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025, … (व्यवधान) इन तीनों विधेयकों का अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। … (व्यवधान) विरोध इसलिए करता हूं कि माननीय गृहमंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं। … (व्यवधान) आपने भाषण दिया था कि ... (*Expunged as ordered by the Chair*) लेकिन उनको लेकर आप महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री बनाकर घूम रहे हैं। … (व्यवधान) इसलिए मैं इस मौके पर कहता हूं कि यह बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृहमंत्री जी।

… (व्यवधान)

(1415/KN/VPN)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1415 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500/ANK/AK)

1500 बजे

लोक सभा पंद्रह बजे पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, संसद के अंदर आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको मौका दे रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ें।

… (व्यवधान)

1501 बजे

(इस समय श्री अभय कुमार सिन्हा, सुश्री एस. जोतिमणि, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप इस तरह की हरकत करेंगे? क्या संसद में आपको इसलिए चुनकर भेजा गया है? कृपया बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आपको देश की जनता देख रही है। संसद में मर्यादा रखिए। यदि आपको विरोध करना है, तो तरीके से कीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या विरोध का यह तरीका उचित है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसद में नैतिकता वाला कोई बिल आ रहा है। राजनीति में नैतिकता और स्वच्छता बननी चाहिए। उसके बाद भी आपकी यह स्थिति है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके को सुधार लीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो। आप इस तरफ आइए। क्या आपका यही तरीका है? आप संसद सदस्य हैं, मर्यादा का पालन कीजिए। कभी किसी ने इस तरीके से मर्यादा खराब नहीं की। आप ऐसे मर्यादा को खराब मत करिए। नो।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं आइटम नंबर-20 ले रहा हूं।

प्रश्न यह है **:**

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए।

… (व्यवधान)

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर-21.

प्रश्न यह है **:**

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर-22।

प्रश्न यह है **:**

"कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक; संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक; तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बारे में प्रस्ताव

1504 बजे।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर-24, माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं **:**

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक**;** संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और माननीय उपसभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए**;**
>
> कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक-तिहाई होगी;
>
> कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;
>
> कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करे; और
>
> कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है **:**

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक**;** संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और माननीय उपसभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए**;**

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक-तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;
कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो-यस तो किया जा सकता है, लेकिन आप अपने इस तरीके को सुधार लीजिए।

... (व्यवधान)

(1505/RAJ/SRG)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए बार-बार आग्रह करता हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करता हूं कि संसद की आप मर्यादा-गरिमा को न गिरने दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश आपको देख रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता लाने के लिए आते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नैतिकता और अच्छा आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

1506 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सत्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1700/NK/SM)
1700 बजे

लोक सभा सत्रह बजे पुन: समवेत् हुई।
(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)
... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: महासचिव।

MESSAGE FROM RAJYA SABHA – contd.

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 20th August, 2025 agreed without any amendment to the Indian Institutes of Management (Amendment) Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th August, 2025."

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 25 ए, यह अच्छा विधेयक है, इससे देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। हम देश में रोज आत्महत्याओं को देखते हैं, सुसाइड्स को देखते हैं, परिवारों को बर्बाद होते हुए देखते हैं। इस तरीके का विधेयक लाना और सदन में आपके विचार, आपके सुझाव से अवगत कराना अच्छा है। कई विधेयक देश हित में होते हैं, राष्ट्र हित में होते हैं, आप ऐसे विधेयकों पर चर्चा कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस विधेयक पर सभी को बोलने का मौका दूंगा, रात को दो बजे तक मौका दूंगा, अगले दिन तक 11 बजे तक बोलने का मौका दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य गौरव जी, आपने ऑनलाइन गेमिंग के विषय को कई बार उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए। मुझे लगता है पूरा सदन एकमत है इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है, कुछ कमियां हैं, कोई विषय है तो आप अपनी बात से अवगत कराएं। महिला सदस्यों ने परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा है। नये बच्चे के जीवन को बर्बाद होते हुए देखा है। आत्महत्याओं को होते हुए देखा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चाहें तो अट्ठारह घंटे तक चर्चा कराउंगा। एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, आपको बोले हुए बहुत दिन हो गए हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन में बोलने के लिए आते हैं, वेल में आकर हंगामा करने के लिए नहीं आते हैं। माननीय मंत्री जी, आप अपना विषय रखिए।

1702 बजे

(इस समय श्री हैबी ईडन, सुश्री महुआ मोइत्रा, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

PROMOTION AND REGULATION OF ONLINE GAMING BILL

1702 hours

THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I rise to move:

> "That the Bill to promote and regulate the online gaming sector including e-sports, educational games and social gaming; to provide for the appointment of an Authority for coordinated policy support, strategic development and regulatory oversight of the sector; to prohibit the offering, operation, facilitation, advertisement, promotion and participation in online money games through any computer resource, mobile device or the internet, particularly where such activities operate across State borders or from foreign jurisdictions; to protect individuals, especially youth and vulnerable populations, from the adverse social, economic, psychological and privacy-related impacts of such games; to ensure the responsible use of digital technologies; to maintain public order and protect public health; to safeguard the integrity of financial systems and the security and sovereignty of the State; to establish a uniform, national-level legal framework in the public interest; and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय, पिछले ग्यारह वर्षों में भारत में डिजीटल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। ... (व्यवधान) टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्ट-अप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। ... (व्यवधान) टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं, ऑनलाइन डिजीटल टेक्नोलॉजी से संबंधित ऑनलाइन गेमिंग एक सेक्टर ऐसा है, जो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट्स बना है। ... (व्यवधान) इस सेक्टर में तीन सेगमेंट्स है, प्रथम सेगमेंट है, ई-स्पोटर्स स्पोर्ट्र्सर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिकिंग बढ़ती है, व्यक्ति टीम में कोऑर्डिनेशन

करना सीखता है, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है। ... (व्यवधान) दुनिया में एक बहुत नये तरीके से ई-स्पोट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है, ऑनलाइन सोशल गेम्स, हम सबने ऑनलाइन सोशल गेम चाहे सोलिटेयर हो, चेस हो, सुडोकू हो, ये सब खेल देखे हैं। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, इंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी है, ... (व्यवधान) यह वाइडली एवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं।

अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है, ऑनलाइन मनी गेम, जो आज समाज एक बड़ी चिंता का विषय बना है। आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं, ... (व्यवधान) जिनको ऑनलाइन जिनको ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिन्दगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। ... (व्यवधान)

1705 बजे

(इस समय श्री सुदामा प्रसाद, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

(1705/IND/GM)

फ्रॉड और चीटिंग, एल्गोरिदम ऐसे होते हैं कि पता नही चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है? ओपैक एल्गोरिदम्स होते हैं, जिससे हार निश्चित हो जाती है। ... (व्यवधान)

मान्यवर अध्यक्ष जी, फाइनैंशियल लॉसेस के कारण कई परिवार नष्ट हुए हैं। एक्सट्रीम केसेस हुए हैं, सूसाइड्स भी हुई हैं। अभी हाल ही की टाइम्स ऑफ इंडिया की कर्नाटक की एक रिपोर्ट है कि 32 सूसाइड्स 31 महीनों में हुई हैं... (व्यवधान) यह टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। करीब-करीब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण फैमलीज़ पर सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है। मनी लॉड्रिंग हो रही है, टैरर सपोर्ट हो रहा है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है – There is an association between online money games and compulsive behaviour, psychological distress, financial hardship, and disruption of family life. उन्होंने ऑन लाइन गेमिंग को एक डिसऑर्डर घोषित किया है। ... (व्यवधान)

मान्यवर अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल के दो भाग हैं। तीन सेगमेंट्स में से दो सेगमेंट्स - ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को सरकार प्रमोट करना चाहती है। उसके लिए अथोरिटी बनाएंगे और गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्किल करेंगे।... (व्यवधान)

मान्यवर अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है तो इन दोनों में से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है। ... (व्यवधान) कभी इस पर कोम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और इस बिल में भी समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गयी है और समाज में जो एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है, उससे बचने के लिए यह बिल लाया गया है। ... (व्यवधान)

मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से रिक्वैस्ट करूंगा कि इसको यूनैनिमसली पास करे।

(इति)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करें। आप अपनी-अपनी सीट पर विराजें। आप चर्चा करिए, मैं आपको चर्चा करने का अवसर दूंगा। इस विधेयक पर आप अपने अमूल्य सुझाव दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? क्या विधेयक पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? आप इस महत्वपूर्ण विधेयक पर नारेबाजी करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको यह पता है कि आप किस विषय पर न बोल रहे हैं? क्या आपको समझ आ रहा है कि आप किस विषय पर न बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सामाजिक खेल सहित ऑनलाइन खेल क्षेत्र की अभिवृद्धि और विनियमन करने; इस क्षेत्र के समन्वित नीति समर्थन, सामरिक विकास और विनियामक निरीक्षण के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करने; किसी कंप्यूटर संसाधन, मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन धन खेल के प्रस्ताव, प्रचालन, सरलीकरण, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी को प्रतिषिद्ध करने, विशेषकर जहां ऐसे क्रियाकलाप राज्य की सीमाओं के पार या विदेशी अधिकारिता से प्रचालित होते हैं; ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं और आबादी के कमजोर वर्गों की रक्षा करने; डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उत्तरदायी उपयोग को सुनिश्चित करने; लोक व्यवस्था बनाए रखने और लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने; वित्तीय प्रणालियों की अखंडता और राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने; लोकहित में राष्ट्रीय स्तर का समान विधिक ढांचा स्थापित करने; और इससे संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I rise to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1710 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 21 अगस्त 2025 / 30 श्रावण 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।